

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.10(न.पा.)(गठन)(सीमावृद्धि)डीएलबी/24/781

दिनांक:

17/1/2025


अधिसूचना

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर परिषद ब्यावर की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने वाले नवीन सीमा क्षेत्र का विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र.सं.	जिला	नगर परिषद का नाम	नगर परिषद में शामिल ग्राम पंचायत/राजस्व ग्राम की सीमा क्षेत्र का विवरण एवं जनसंख्या
01.	ब्यावर	ब्यावर	1.ग्राम पंचायत मेडिया के राजस्व ग्राम मेडिया, शम्भुपुरा, रामपुरा मेवातियान, मकरेडा, का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र 2.ग्राम पंचायत ब्यावरखास का राजस्व ग्राम ब्यावरखास का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र 3.ग्राम पंचायत सरमालिया का राजस्व ग्राम सरमालिया का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र 4.ग्राम पंचायत देलवाडा के राजस्व ग्राम देलवाडा, दौलतपुरा बलाईयान, सेंसपुरा का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र 5.ग्राम पंचायत बलाड के राजस्व ग्राम बलाड, गद्दीथोरियान, कुशालपुरा का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र 6.ग्राम पंचायत मालपुरा (कालियावास) के राजस्व ग्राम मालपुरा (कालियावास) का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र 7.ग्राम पंचायत नून्दीमालदेव के राजस्व ग्राम नून्दीमालदेव का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र 8.ग्राम पंचायत गणेशपुरा के राजस्व ग्राम गणेशपुरा शिवनाथपुरा का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र 9.ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा के राजस्व ग्राम गोविन्दपुरा का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र 10.ग्राम पंचायत ठीकराना महेन्द्रातान के राजस्व ग्राम ठीकराना महेन्द्रातान, बाडिया श्यामा, रामसर बलाईयान का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र 11.ग्राम पंचायत जालिया प्रथम के राजस्व ग्राम जालिया प्रथम, बाडिया जग्गा, का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र 12.ग्राम पंचायत नून्दीमेन्द्रातान के राजस्व ग्राम नून्दीमेन्द्रातान, सिरोला का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र 13.ग्राम पंचायत फतेहगढ सल्ला का राजस्व ग्राम रतनपुरा सरदारा, डूंगरखेडा का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र 14.ग्राम पंचायत नरबदखेडा के राजस्व ग्राम केंसरपुरा (परसा) एवं भोजपुरा का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र (जनसंख्या-38,712)

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।

1 राज्यपाल की आज्ञा से,


(कुमार प्रलोक गौतम)

आयुक्त एवं शासन सचिव